(145)

माननीय राजस्व परिषद मध्य प्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

निगरानी प्रकरण क्र० 197

निग० 111-IV/97

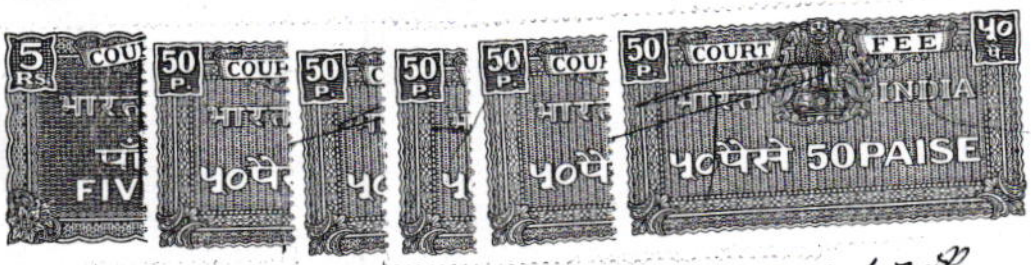

C.F. 6.7.50

R.L. 801
ता० 17.4.97

राधेश्याम तनय नाथूराम निवासी ग्राम माठी, तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र० --- ------- -- आवेदक

विरुद्ध

रामदयाल तनय नर्मदाप्रसाद निवासी ग्राम माठी, तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र० -------- अनावेदक

Presented by Shri R.P. Singh
Advocate/Applicant 10-4-97

Reader राजस्व मण्डल
Supdt. Commissioner's office Rewa Division

निगरानी, विरुद्ध आदेश अतिरिक्त आयुक्त रीवा संभाग रीवा श्री एम० कपूर दिनांक २७-३-९७ जिसके द्वारा आवेदक की द्वितीय अपील निरस्त किया अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भूराजस्व संहिता सन १९५९।

3
11.4.97

17.4.97

निगरानी को समझने केलिये संक्षेप मेंनिम्नलिखित तथ्य दिये जारहे हैं:-

१- यहकि आवेदकराधेश्याम ने तहसीलदार साहब के तहसील हनुमना जिलारीवा के न्यायालय मे धारा १३२ तथा १३३ के अन्तर्गत भूमि नं० २४८ रकवा ०-६०ए० स्थित ग्राम माठी केरकवा ०-० रहि० पर अवरुद्ध मार्ग खुलवाने का आवेदनपत्र पेशकिया। आवेदन मेयह कहागयाकि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग२ मऊगंज के न्यायालयसेप्रकरण क्रमांक २६अ।७३ मे ०-० रहि० रास्ता रेस्पा० ने देना स्वीकार कियावराजीनामा व्यवहार न्यायालय मेलगादिया इसराजीनामा के आधारपर व्यवहार न्यायालय नेदि० २१-११-७५ कोनिर्णय देकर जयपत्र पारित किया

-२

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी/11–तीन/ 97 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.11.	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 244/94–95 में पारित आदेश दिनांक 27.3.97 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का सरांश सक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक राधेश्याम ने तहसीलदार तहसील हनुमना के न्यायालय में धारा–132 तथा 133 के अन्तर्गत भूमि न0 248 रकवा 0.60 एकड़ स्थित ग्राम माठी के रकवा 0.02 डिस0 पर अवरूद्ध मार्ग खुलवाने का आवेदन पत्र पेश किया । आवेदन में यह कहा गया कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 मऊगंज के न्यायालय से प्रकरण कमांक 26/अ–3 में 0.02 डि0 रास्ता रेस्पो0 ने देना स्वीकार किया व राजीनामा व्यवहार न्यायालय में लगा दिया इस राजीनामा	

के आधार पर व्यवहार न्यायालय में दिनांक 21.11.75 को निर्णय देकर जय पत्र पारित किया। तब से यह रास्ता चला आ रहा है लेकिन अब रास्ता बन्द कर दिया है।

3- मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

4- मेरे द्वारा अधिवक्तागण के तर्क सुनने के पश्चात में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रकरण तहसीलदार के न्यायालय में प्रत्यावर्तित कर तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष के मध्य अगर सिविल न्यायालय में राजीनामा हो गया है तो वह सिविल न्यायालय में हुये समझोते के अनुसार कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण कमांक 244/94-95 में पारित आदेश दिनांक 27.3.97 निरस्त किया जाता है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य